न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 153/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/259

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
कैलाशदान पुत्र वेणीदान जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली		1. हिंगलाजदान पुत्र वेणीदान जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली 3. ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री वासुदेव चारण, श्री कैलाश मकवाणा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा मिसल संख्या 28/1995–96 दिनांक 27.03.1996, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.09.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 122 दिनांक 10.09.1999 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायलय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जासुदा मालिकाना हक का मकान मय भूखण्ड ग्राम रेन्दड़ी में आया हुआ है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 2/1978–79 की पालना में प्रार्थी के पिता स्व. वेणीदान पुत्र भोमदान जाति चारण के पक्ष में पट्टा संख्या 2 दिनांक 02.11.1979 जारी हो रखा है। प्रार्थी के पिता वेणीदान का दिनांक 15.02.1999 एवं माता भूरकंवर का दिनांक 14.05.2006 को स्वर्गवास हो चुका है। इस कारण जैर आराजी में प्रार्थी, हीरसिंह एवं अप्रार्थी संख्या 1 के हक अधिकार निहित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व हीरसिंह ने जैर निगरानी आराजी में अपने हक हिस्से की भूमि का जरिये हकतर्कनामा से प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 21.10.2024 को निष्पादित करवाया, जिससे जैर निगरानी आराजी का प्रार्थी अकेला मालिक व स्वामी हुआ, जिस पर प्रार्थी बिना किसी रोक टोक के शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने पट्टासुदा भूमि को

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष न तो कोई आवेदन पेश किया, न ही कोई शुल्क जमा करवाई गई, न ही मौका देखा गया और न ही कोई आपत्तियाँ मांगी गई। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये पूर्व से जारी पट्टेसुदा आराजी को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक कब्जा है तथा ग्राम पंचायत ने नजूल सम्पत्ति पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे से भिन्न भूखण्ड का है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिनुसार आबादी भूमि में प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी ने नियमानुसार आवेदन पेश किया, जिस पर भूमि का नक्शा तैयार कर पंचों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर पूरी प्रक्रिया अपनाते हुये पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा मिसल संख्या 28/1995–96 दिनांक 27.03.1996, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.09.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 122 दिनांक 10.09.1999 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे सुदा भूमि को शामिल करते हुये प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने नजूल सम्पत्ति का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु उपलब्ध अभिलेखों, दोनों पक्षों के तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण एवं तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 2/78/79, प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 26.10.1979 एवं उसकी पालना में वेणीदान पुत्र भोमदान के पक्ष में पट्टा संख्या 2 दिनांक 02.11.1979 को जारी किया गया था। उक्त पट्टे में वर्णित भूमि की सीमाएँ इस प्रकार अंकित हैं उत्तर दिशा में सुरजदान, दक्षिण दिशा में पंचायत भवन व पड़त, पूर्व दिशा में रास्ता आम तथा पश्चिम दिशा में स्कुल भवन की बाउण्ड्री हत्था है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे में वर्णित भूमि की सीमाएँ उत्तर दिशा में स्वयं का पट्टा सुदा प्लॉट, दक्षिण दिशा में सार्वजनिक चौक व रास्ता, पूर्व दिशा में सार्वजनिक चौक एवं पंचायत भवन तथा पश्चिम दिशा में स्कूल अंकित है। दोनों पट्टों के पड़ौस का तुलनात्मक परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण के पड़ौस में समानता है। जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे सुदा भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(2) के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा बनाने हेतु कोई आवेदन पत्र भी पेश नहीं किया गया और न ही सूची कागजात में आवेदन पेश के सम्बन्ध में कोई इन्द्राज है जबकि नियम 145(1) के अनुसार पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति, पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा, जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में कोई आवेदन पेश नहीं किया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 27.03.1996 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का नक्शा तथा आदेशिका दिनांक 11.04.1999 के द्वारा तीन पंचों को भूमि के मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु किन तीन पंचों के द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर नहीं है, साथ ही मौका निरीक्षण के दौरान नियम 146(3) में वर्णितानुसार मनोनीत पंच "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 -

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे के सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिये गये। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157—पंचायती राज अधिनियम, 1994—धारा 63 व 97—आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की—जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता—प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती—नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं—अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा मिसल संख्या 28/1995—96 दिनांक 27.03.1996, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.09.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 122 दिनांक 10.09.1999 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)